



न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता, महुआडाँड़ ।

दाखिल खारिज अपील

वाद सं०-०६/२०२५

अपीलार्थी :- मुकेश कुमार, पिता- दिलीप प्रसाद, ग्राम-सरयू, थाना-गारू,
जिला-लातेहार।

बनाम

विपक्षी :-

१. अंचल अधिकारी, गारू।
२. राजकुमारी देवी, पति- बालसुन्दर सिंह, ग्राम- घांसीटोला,
थाना- गारू, जिला- लातेहार।

आदेश

आवेदक के आवेदन का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि अंचल अधिकारी, महुआडाँड़ के नामांतरण वाद सं०- २६ R27 /2023-24, दिनांक- ०६.११.२०२३ में पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल खारिज अपील आवेदन दाखिल किया गया है। अपील आवेदन के आलोक में कार्यवाही प्रारंभ कर उभय पक्षों से जवाब/साक्ष्य एवं अंचल अधिकारी, महुआडाँड़ से नामान्तरण वाद सं०-२६ R27 /2023-24 के अभिलेख की मांग की गई।

अपीलार्थी का कथन है कि -

“चंचला देवी, पति- स्व० लखन सिंह से मौजा- रोल, छका ४, थाना नं०- ५ खाता सं०- ३०, प्लॉट सं०- ४५२, ४५३, ५३९, ५३७ से कुल रकबा- २.२३१/४ ए० जमीन लिया हूँ, जिसे दाखिल खारिज के लिए नामांतरण मुकदमा संख्या- २६ R27 /2023-24 गारू के द्वारा अस्वीकृत किया गया है, जबकि मैं इस जमीन पर कुछ पौधा भी लगा चुका हूँ और यह मेरे दखल कब्जा में है। यह बटवारा संबंधी आवेदन किसने दिया इसके बारे में बिना बताए यह दाखिल खारिज को रिजेक्ट किया गया है, प्लॉट का मैं बी०डी०ओ०, कर्मचारी सुलेमान अंसारी सर

1
OL

को भेजा हूँ। उनका Whatsapp नं० पे जो उनकी पुत्री चलाती है, वह लगातार देखे थे। अपने मो० में जो आज भी मेरे मोबाईल में है।”

अंचल अधिकारी, गारू के पत्रांक— 249/रा०, गारू, दिनांक— 02.07. 2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि —

“नामान्तरण वाद सं०— 26/2023-24 का स्पष्ट प्रतिवेदन अस्वीकृत का कारण राजस्व उपनिरीक्षक सह प्रभारी अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। विक्रेता के हिस्सेदार ने बंटवारा संबंधी आपति दिया है। क्रेता का क्रय भूमि पर दखल कब्जा नहीं है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक सह प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशांसा के आधार पर नामान्तरण आवेदन पत्र अस्वीकृत की जाती है।”

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, महुआडांड के नामान्तरण वाद सं०—26 R27/2023-24, दिनांक—06.11.2023 में पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है। अपीलार्थी अगर चाहे तो सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
महुआडांड।


भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
महुआडांड।